मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांकः 08.08.2022

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 25 हजार का अर्थदण्ड की सजा—

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'मिशन शक्ति अभियान' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक मीरजापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं रू0 25 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 19.07.2020 को थाना विन्ध्याचल क्षेत्रांतर्गत अभियुक्त हरि मोहन पटेल पुत्र हरि शंकर पटेल निवासी मगरदा खुर्द थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर द्वारा वादी के नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया था। जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना विन्ध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को मा0न्यायालय SPL(J)POCOS ACT. मीरजापुर द्वारा 05 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त का नाम पता—

हरि मोहन पटेल पुत्र हरि शंकर पटेल निवासी मगरदा खुर्द थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0- 101/2020, धारा 376/511 भादवि व धारा 4/18 POCOS ACT. थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।